फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या / वर्ष : ____________ / 20 ____________

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/1/25	पत्रावली पेश [illegible] अधिवक्ता [illegible] आज [illegible] न्यायिक कार्यवाही [illegible] पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 को पेश	
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03/02/25 को पेश हो।	
	3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उअपक्षगण उपस्थित। वकील उअपक्षगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर दि० 11/8/20 को जारी T.9 का ता-फैसला [illegible] किया जाकर उअपक्षगण को पाबन्द किया जाता है। विस्तृत [illegible] निर्णय पृथक से लिखाया जाता (सुनाया गया)। [illegible] पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो (सुनाया गया)। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

विशेष [illegible]

[illegible] 9/12/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 142/2020
निर्णय दिनांक : 03.02.2025

उनवानी

1. रामचरण पुत्र राधेश्याम जाति पुरोहित, निवासी–मकान नम्बर–4120, गंगावक्स माली की गली, नाहरगढ थाने के पास, पुरानी बस्ती जयपुर।
2. रामप्रतोष पुत्र राधेश्याम जाति पुरोहित, निवासी–मकान नम्बर–4120 गंभावक्स माली, की गली, नाहरगढ थाने के पास, पुरानी बस्ती जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रपन पुत्र स्व. श्री रामसेवक, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी–पटवार घर के पास, गढ मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2. रामप्रकाश पुत्र स्व. श्री रामसेवक, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी–पटवार घर के पास, गढ़ मौहल्ला ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
3. रामप्रभाव पुत्र स्व. श्री रामसेवक, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी–पटवार घर के पास, गढ मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
4. रामप्रमोद पुत्र स्व. श्री रामसेवक, जाति– पारीक ब्राहम्ण, निवासी–पटवार घर के पास, गढ मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
5. गरिमा पुत्री स्व. श्री रामबाण, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी पटवार घर के पास, गढ मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
6. गौरव पुत्र स्व. श्री रामबाण, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी– पटवार घर के पास, गढ मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
7. विनोदी पत्नी स्व. श्री रामबाण, जाति पारीक ब्राहम्ण, निवासी–पटवार घर के पास, गढ़ मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
8. श्याम सुन्दर पुत्र (रामकला माँ) पुत्र सीताराम जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
9. भूमिधारक जरिये तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 0.39 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 759 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.20 किस्म चाही, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 762 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै. मु.चाह, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै. मुकिन आबादी, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै. मु.झेरा, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.15

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म चाही कुल किता 17 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर राजस्व ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसे आगे चलकर वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/4 का प्रार्थी सख्या 1 खातेदार है व 1/4 हिस्सा का प्रार्थी संख्या 2 खातेदार है व शेष हिस्से में अप्रार्थीगण गरीमा पुत्री रामवाण का हिस्सा 1/360 है। गौरव पुत्र रामवाण का हिस्सा 67/1800 है, श्याम सुन्दर पुत्र सीताराम रव. माता रामकला के नाम हिस्सा 1/120 है व रामप्रकाश पुत्र रामसेवक के नाम 59/600 हिस्सा है व रामप्रपन पुत्र रामसेवक का हिस्सा 59/600 है, रामप्रभाव पुत्र रामसेवक का हिस्सा 59/600 व रामप्रमोद पुत्र रामसेवक का हिस्सा 59/600 है व अप्रार्थीया विनोदी देवी पत्नी रामवाण का हिस्सा 11/360 है तथा उपरोक्त हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अंकित है। यहां यह कथन करना समुचित होगा कि प्रार्थीगण का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा है लेकिन इससे भी अधिक हिस्से पर वो वर्षों से भूमि पर काविज है तथा विना किसी बाधा व अवरोध के भूमि को काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि जो गैरमुकिन चाह अर्थात कुऐ के पास स्थित भूमि पर वर्षो से काविज है जिसको प्रार्थीगण ने काफी धन व श्रम खर्च कर काविल काश्त बनाया है। भूमि पूर्व में उबड खावड वंजड भूमि थी जिसे प्रार्थीगण ने अपनी खुन पसीने की कमाई से भूमि को काविलं काश्त वनाया तथा अपने हिस्से की भूमि पर वर्षो से काविज रहकर अपना तथा अपने परिवार का भूमि से मिलने वाली उपज से भरण पोषण करते है तथा कभी भी किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से कभी कोई बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर मनबट के हिसाव से काविज है तथा वर्षो से मनबट के अनुसार काश्त कर रहे है लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि का वास्तविक एवं भौतिक विभाजन आज दिनांक तक नहीं हुआ है। दिनांक 11.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 चार–पांच अन्य व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि के मौके पर आये तथा प्रार्थीगण के हिस्से में आयी भूमि को दिखाने लगे तब प्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थीगण से इस कारण पुछा तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी संख्या 2 से कथन किया कि साथ आये व्यक्तियों को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पसन्द आ गई है इसलिए इस भूमि का वैचान साथ आये व्यक्तियों को करेगे। प्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से कथन किया कि प्रार्थीगण ने भूमि को काविज काश्त वनाने हेतु काफी धन व श्रम खर्च किया है तथा वर्षो से वो इस भूमि पर काविज है तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया कि अप्रार्थीगण को मालूम है कि प्रार्थीगण ने मनवट के हिसाव से जिस हिस्से पर काविज है उस हिस्से पर काफी धन व श्रम खर्च किया है इसलिए साथ आये व्यक्तियों को इनके हिस्से की भूमि ही पसन्द आई है इसलिए वो साथ आये व्यक्तियों को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का ही बैचान कर उसी हिस्से का कब्जा साथ आये व्यक्तियों को सम्भलायेगे। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा जोर जोर से चिल्लाने पर आस–पास के कई काश्तकार इक्ट्ठे हो गये जिन्होने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को समझाया कि प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि को काविल काश्त वनाने हेतु काफी धन व श्रम खर्च किया है तथा वर्षो से वो इस हिस्से पर काविज है इसलिए इस हिस्से की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बैचान नहीं कर अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का ही बैचान करें। वादग्रस्त भूमि पर कई काश्तकार इक्ट्ठे होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 मौके से चले गये लेकिन जाते जाते प्रार्थी संख्या 2 को धमकी दी कि वो शीघ्र ही अधिक व्यक्तियों के साथ आयेगे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल कर साथ आये व्यक्तियो को बैचान कर काबिज करवा देगे। अब प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि माननीय व्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अपनी खातेदारी भूमि में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में सफल नहीं होगे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में धन के रूप में नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें, वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 0.39 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 759 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.20 किस्म चाही, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 762 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै. मु.चाह, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै. मुकिन आबादी, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु.झेरा, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही. खसरा नम्बर 828 रकबा 0. 15 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.19 हेक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म चाही कुल किता 17 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर राजस्व ग्राम वाटिका पटवार हल्का बाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर का दावे के निर्णय तक न तो किसी को बेचान करें न ही भूमि को कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनार्थ रूपातन्तरित करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखल अन्दाजी उत्पन्न नहीं करें, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे कि प्रार्थीगण की भूमि में अधिकार समाप्त हो। सभी अप्रार्थीगण को इस आशय से भी प्रतिबन्धित किया जावें कि वह उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड के यथावत स्थिति दावे के निर्णय तक बनाये रखे। अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थीगण के हक में प्रदान किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4, 6 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। दिनांक 16.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ,6 व 7 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 व 8 की ओर से जवाब प्राथना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जो शामिल गिसल है।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पावन्द फरमाया जावे कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 0.39 हैक्टेयर किस्म

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

चाही, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 759 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.20 किस्म चाही, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 762 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै. मु.चाह, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै. मुकिन आबादी, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु.डोरा, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही. खसरा नम्बर 828 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.19 हेक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म चाही कुल किता 17 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर राजस्व ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बेजामजाहमत, अवैध निर्माण न करे जबरन बेदखल न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण के हक–हिस्से की भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, बय, बक्शीश न करे ना करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगणे अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न दो बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। वर्षो से ही मनवट के अनुसार काबिज काश्त कर रहे हे और काबिज है प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर दिनांक 11.08.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 0.39 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 759 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.20 किस्म चाही, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.21 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 762 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै. मु.चाह, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै. मुकिन आबादी, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु.झेरा, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही. खसरा नम्बर 828 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.19 हेक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म चाही, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.47 हैक्टेयर किस्म चाही कुल किता 17 कुल रकबा 3.20 हैक्टेयर राजस्व ग्राम वाटिका पटवार हल्का बाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में दावे के अंतिम निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। ना ही बेचान करे न ही कृषि से भिन्न अन्य प्रयाजनार्थ रूपान्तरित करे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर